नए शिक्षकों की तैनाती तक काम करेंगे तदर्थ शिक्षक

एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को बड़ी राहत, पूर्णकालिक शिक्षकों के बराबर मिलेगा वेतन

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रहे तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। नियमित शिक्षकों की नई नियुक्ति होने तक तदर्थ शिक्षक काम करते रहेंगे और उन्हें पूर्णकालिक शिक्षकों के बराबर वेतन मिलेगा। शासन ने इनकी सेवा की निरंतरता नौ नवंबर 2023 से बनाए रखते हुए पहले की तरह वेतन देने का आदेश जारी किया है।

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। मनोज कुमार सिंह व अन्य तथा 189 संबद्ध रिट याचिकाओं पर 24 अगस्त 2026 को दिए गए आदेश के अनुपालन में शासनादेश जारी किया गया है। इससे प्रदेश के करीब 800 तदर्थ शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

नौ नवंबर 2023 से सेवा की निरंतरता, करीब 800 शिक्षकों को होगा लाभ

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के 26 अगस्त 2020 के आदेश के तहत एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को उनकी सेवा के आधार पर भारांक देकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की परीक्षा में शामिल कराया गया था। इसके बाद उन्हें मौलिक नियुक्ति दी गई। शेष तदर्थ शिक्षक, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2000 से पहले और बाद में हुई थी, उनकी सेवाएं नौ नवंबर 2023 को समाप्त कर दी गई थीं। शिक्षकों ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की गई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन भी किया।

इसके बाद आठ जुलाई 2024 को सरकार ने इन शिक्षकों को मानदेय पर रखने का निर्णय लिया था। इसके तहत एलटी ग्रेड शिक्षकों को 25 हजार और प्रवक्ताओं को 30 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा था।

नियमित चयनित शिक्षक आते ही समाप्त होंगी सेवाएं : अपर मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से नियमित शिक्षकों का चयन होने और उनके विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने तक तदर्थ शिक्षक कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के आने के साथ ही उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इस अवधि की सेवा पेंशन के लिए अहेकारी सेवा नहीं मानी जाएगी। भुगतान केवल वास्तविक कार्य के आधार पर होगा। कार्य सत्यापन की पूरी जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) की होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक तदर्थ शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार, इस फैसले से शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें मौजूदा मानदेय से दोगुने से अधिक वेतन मिल सकेगा। साथ ही नौ नवंबर 2023 से सेवा की निरंतरता मिलने के कारण पिछले तीन वर्षों का बकाया वेतन भी मिलने की उम्मीद है।



यूपी में 1141 करोड़ का निवेश करेगी ताइवान की कंपनी

लखनऊ। ताइवान की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी क्रिएटिव सेंसर इंक. उत्तर प्रदेश में करीब 1141 करोड़ रुपये का निवेश करने की तैयारी में है। कंपनी के चेयरपर्सन यूजीन हुआंग ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात कर प्रदेश में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेंसर मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।

मुलाकात के दौरान यूजीन हुआंग ने प्रदेश की बेहतर कानून-व्यवस्था, पारदर्शी कार्यप्रणाली, निवेश-अनुकूल नीतियों और तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे की सराहना की। उन्होंने कहा कि यूपी में उद्योगों के लिए तैयार हुए सकारात्मक माहौल से वैश्विक



सीएम योगी से मिले क्रिएटिव सेंसर इंक के चेयरपर्सन यूजीन हुआंग

निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। उनकी कंपनी भी प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनना चाहती है।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए हरसंभव सहयोग देगी। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में 300 एकड़ में विकसित हो रही ताइवान सिटी और प्रस्तावित सेमीकंडक्टर इकाई का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई इकाई से आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। ताइपे मुख्यालय वाली क्रिएटिव सेंसर इंक. की स्थापना 1998 में हुई थी। कंपनी 2005 से ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। यह इमेज सेंसर, कैमरा एवं इन्फ्रारेड सेंसर मॉड्यूल, प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई आधारित इमेज प्रोसेसिंग व इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस में विशेषज्ञता रखती है। ब्यूरो

चार जिलों में नए डीआईओएस तैनात

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए समूह क में पदोन्नत अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। इसके तहत औरैया, हाथरस, अमरोहा और महराजगंज में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) तैनात किए गए हैं। जबकि बहराइच में प्रभार दिया गया है। इसके अलावा झांसी-चित्रकूट मंडल में भी मंडलीय शिक्षा अधिकारी की तैनाती की गई है।

विभाग के उप सचिव चंद्रश्याम मिश्र की ओर से जारी आदेश के अनुसार, बहराइच के डीआईओएस सर्वानंद को उप शिक्षा निदेशक पद पर पदोन्नति के बाद मंडलीय उप शिक्षा निदेशक आगरा व अलीगढ़

औरैया, हाथरस, अमरोहा महराजगंज में हुई तैनाती

तथा प्रभारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरही, लखनऊ की प्रधानाचार्य रागिनी मिश्रा को महराजगंज, डायट फतेहपुर के उप प्राचार्य मायाराम को औरैया का डीआईओएस बनाया गया है।

राजकीय इंटर कॉलेज सहारनपुर के प्रधानाचार्य हर्ष देव स्वामी को हाथरस और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के विधि अधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा को अमरोहा का प्रभारी डीआईओएस बनाया गया है। ब्यूरो

आबकारी सिपाही की शारीरिक दक्षता परीक्षा सात दिसंबर को

लखनऊ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आबकारी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा सात दिसंबर को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुभाष प्रजापति ने बताया कि इसके लिए प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे। आयोग ने प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 पदों पर भर्ती के तहत औपबंधिक रूप से चयनित 39 अभ्यर्थियों की सुनवाई और दस्तावेज परीक्षण भी सात दिसंबर को निर्धारित किया है। ब्यूरो

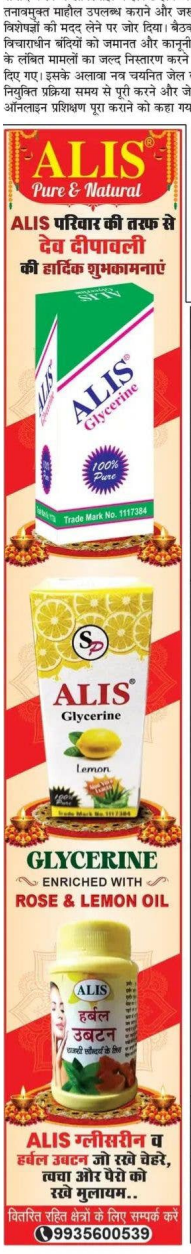
मिशन कर्मयोगी : 27 तक एक कोर्स करना अनिवार्य

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत राज्य कार्मिकों के लिए 27 नवंबर शाम पांच बजे तक एक कोर्स पूरा करना अनिवार्य किया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को शासनादेश जारी कर विभागाध्यक्षों को इस अवधि में बैठकें नहीं करने के निर्देश दिए हैं। कार्मिकों को कोर्स पूरा कर इसकी जानकारी डॉ. राम मनोहर लोहिया प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी को ई-मेल से उपलब्ध करानी होगी। ब्यूरो

एडवांस मिनिमल इनवेसिव
लेप्रोस्कोपिक सर्जरी
• पित्त की थैली का ऑपरेशन
• अपेंडिक्स का ऑपरेशन
• हर्निया का ऑपरेशन
• बच्चेदानी/ओवरी से जुड़ी सर्जरी
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क सर्जरी
पीबीएस
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस की कैशलेस सुविधा
054229 86555, 94528 81318
शिवदासपुर, मंडुवाडीह- लहरतारा रोड, वाराणसी

जेलों में आत्महत्या रोकने के लिए बंदियों की होगी काउंसिलिंग

लखनऊ। प्रदेश की जेलों में बंदियों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए जेल प्रशासन ने नई पहल की है। अब तनावग्रस्त और मानसिक रूप से परेशान बंदियों की पहचान कर उनकी नियमित काउंसिलिंग कराई जाएगी। साथ ही उन्हें जरूरत के अनुसार मनोवैज्ञानिक मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। महानिदेशक कारागार पीसी मीना ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आत्महत्या रोकने के लिए मुख्यालय से जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। बंदियों के व्यवहार पर नजर रखने और उनसे नियमित संवाद करने में लापरवाही न हो। उन्होंने जेलों में बंदियों को तनावमुक्त माहौल उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद लेने पर जोर दिया। बैठक में निर्धन विचाराधीन बंदियों को जमानत और कानूनी सहायता दिलाने के लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा नव चयनित जेल वार्डरों की नियुक्ति प्रक्रिया समय से पूरी करने और जेलकर्मियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा कराने को कहा गया। ब्यूरो



ज्यादा मोबाइल पर amarujala.com



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India — अचल सम्पत्ति (विक्रय सूचना)

क्षेत्रीय कार्यालय– एस 2/638 ए, चन्द्रा चैम्बर, द्वितीय तल, सेन्ट्रल जेल रोड, सिकरौल, वाराणसी– 221002

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-निलामी विक्रय नोटिस।

सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एवं ऋणी/ऋणीयों (बकाएदारों) लेनदारों और प्रतिभूति–दाताओं को विशेष रूप से इस नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों जो प्रतिभूति लेनदार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का सांकेतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, इसे ''जहां हैं, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर ऋणी/ऋणीदार और जमानतदार/जमानतदारों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूति लेनदार) की बकाया राशि की वसूली हेतु विक्रय किया जाएगा। निलामी हेतु संपत्तियों एवं तिथी का विवरण आरक्षित मूल्य एवं इंएमडी राशि सहित निम्नवत् है।

Last Date & Time of EMD : on or before 29.12.2026 | Date & Time of E-Auction : 29.12.2026 (From 12.00 PM. to 5.00 PM)

खाता का नाम / उधारकर्ता (सम्पत्ति के मालिक)	बंधककर्ता की सम्पत्ति का विवरण एवं (सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड)	आरक्षित मूल्य (₹) जुरमाने की राशि (₹) कब्जे के प्रकार	कुल दायित्व
शाखा: गुलिहार बैंक ऑफ इंडिया, 65/20, जलपा देवी रोड, वाराणसी, कबीरचौरा, उ0प्र0, मो. 9097415597			
उधारकर्ता: 1(ए) श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी स्व0 बृजमोहन सिंह, 1(बी) श्री कृष्ण मोहन सिंह पुत्र स्व0 बृजमोहन सिंह, 1(सी) श्री कपिलेश्वर सिंह पुत्र स्व0 बृजमोहन सिंह, 1(डी) श्री ओम शंकर सिंह पुत्र स्व0 बृजमोहन सिंह, सभी पता: मकान नंबर एस 8/314–20ए, खजूरी गोला तुलसी, निकटेतन स्कूल, पांडेपुर, वाराणसी	आवासीय भूमि एवं भवन, मकान संख्या एस 15/2ए, क्षेत्रफल 1460 वर्गफुट, शकुंतला देवी पत्नी बृजमोहन सिंह के नाम पर मौहल्ला–दाँतसाबाद, वार्ड–सिकरौल, जिला–वाराणसी में स्थित है। चौहद्दी विलेख संख्या 2834 के अनुसार, तारीख 13.08.1996 इस तरह: पूर्व–मकान नंबर एस15/2 सोहन लाल विश्वकर्मा आदि, पश्चिम–मकान नंबर एस 15/2 का हिस्सा, उत्तर–गली, दक्षिण–पश्ची रोड से सरकार रोडतक	(ए) 1,30,00,000/- (बी) 13,00,000/- सांकेतिक कब्जा वृद्धिशील राशि 13,000/–	₹ 8,99,462.39 + ब्याज + अन्य चार्ज (03.10.2025 के डिमांड नोटिस के अनुसार) / आज की तारीख तक ₹ 09,91,489.35 + ब्याज + अन्य खर्च)

बिक्री में विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट https://baanknet.com और www.unionbankofindia.bank.in/auction-property/viewauction-property.aspx के लिंक को देखें

पंजीकरण और लागिंन एवं बोली प्रक्रिया नियमों के लिए https://baanknet.com पर जाएं।

दिनांक : 24.11.2026 स्थान: वाराणसी प्राधिकृत अधिकारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

punjab national bank ... name you can BANK upon! — पंजाब नैशनल बैंक ... भरोसे का प्रतीक

एआरएमबी वाराणसी– एस 20/56– डी केनेडी रोड, द माल, कैण्ट, वाराणसी – 221002 (उ0प्र0), ई–मेल: cs8331@pnb.bank.in

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के तहत सर्वसाधारण को ई–नीलामी की सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं / या 9 (1) के साथ पढ़ी जाती है।

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर ''जहां है जैसे है'' और ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी वहाँ है'' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से बैंक / सुरक्षित ऋणदाता को देय। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित होगी।

अचल सम्पत्ति एवं सुरक्षित प्रतिभूतियों का विवरण

क्र0 सं0	उधारकर्ता का खाता / शाखा का नाम	सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि दिनांक 31.10.2026 तक 13(2) की दिनांक / 13(4) की दिनांक / कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य अग्रिम धनराशि (रू0 में) / वृद्धिशील धनराशि / अग्रिम धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि	निलामी हेतु दिनांक एवं समय	धरोहर धनराशि को जमा रकमों का विवरण
1.	**ऋणी: ए.पी.एस कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रोपराइटर अजीत प्रताप सिंह पुत्र वशिष्ठ नारायण सिंह,** मकान नंबर एस 51–3–आर नवलपुर शिवपुर, वाराणसी यू.पी.– 221001 **ऋणी: अजीत प्रताप सिंह पुत्र वशिष्ठ नारायण सिंह,** निवासी मकान नंबर एस 51–3–आर नवलपुर शिवपुर, वाराणसी यूपी– 221001 **जमानतकर्ता: अभय प्रताप सिंह पुत्र वशिष्ठ नारायण सिंह,** निवासी मकान नंबर एस–3/51–आर नवलपुर शिवपुर, वाराणसी उ.प्र.– 221001 **ऋणी: स्वर्गीय उर्मिला सिंह पत्नी वशिष्ठ नारायण सिंह, (डीआरटी आदेश सामग्री के अनुसार मृतक) मृतक उर्मिला सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी ए– रागिनी सिंह,** निवासी मकान नंबर एस 51–3–आर नवलपुर शिवपुर, वाराणसी यू.पी.– 221001 **ऋणी: स्वर्गीय उर्मिला सिंह पत्नी वशिष्ठ नारायण सिंह, (डीआरटी आदेश सामग्री के अनुसार मृतक) मृतक उर्मिला सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी बी– कविता सिंह,** निवासी मकान नंबर एस 51–3–आर नवलपुर शिवपुर, वाराणसी यूपी– 221001 **ऋणी: स्वर्गीय उर्मिला सिंह पत्नी वशिष्ठ नारायण सिंह, (डीआरटी आदेश सामग्री के अनुसार मृतक) मृतक उर्मिला सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी सी– अजीत प्रताप सिंह,** निवासी मकान नंबर एस 51–3–आर नवलपुर शिवपुर, वाराणसी यू.पी.– 221001 **ऋणी: स्वर्गीय उर्मिला सिंह पत्नी वशिष्ठ नारायण सिंह, (डीआरटी आदेश सामग्री के अनुसार मृतक) मृतक उर्मिला सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी डी– अभय प्रताप सिंह,** निवासी मकान नंबर एस 51–3–आर नवलपुर शिवपुर, वाराणसी यू.पी.– 221001 **जमानतकर्ता: श्री सतेंद्र कुमार वर्मा पुत्र स्व0 लल्लू,** निवासी मकान नंबर 36 पोस्ट शिवपुर परमानंदपुर, वाराणसी उ.प्र.– 221001 **शाखा: एआरएमबी वाराणसी (833100)**	**सम्पत्ति–1 :** सांत्विक बंधक की भूमि एवं भवन सत्येंद्र कुमार वर्मा पुत्र श्री लल्लू राम वर्मा के नाम पर, विक्रय विलेख संख्या 1174, दिनांक 10.03.2010, आराजी नंबर 166 रख, क्षेत्रफल 684 वर्ग फुट या 63.57 वर्ग मीटर, जो मौजा–परमानंदपुर, परगना और वार्ड शिवपुर, तहसील सदर, जिला वाराणसी में बही नंबर 1, जिल्द नंबर 4082, पेज 349 से 376, सीरियल नंबर 1174, दिनांक 10.03.2010 को पंजीकृत है, **चौहद्दी (विलेख के अनुसार) – पूर्व:** सत्येंद्र कुमार वर्मा की जमीन, **पश्चिम:** शैलेंद्र कुमार सिंह की आराजी नंबर 166 रख का शेष भाग, **उत्तर:** प्रस्तावित 8 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, **दक्षिण:** दुर्गावती देवी की जमीन **सम्पत्ति–2 :** सांत्विक बंधक की भूमि एवं भवन श्रीमती उर्मिला सिंह पत्नी वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर, विक्रय विलेख संख्या 3142, दिनांक 27.05.2013, आराजी नंबर 63 और 63/1, भूमि क्षेत्रफल 123.14 वर्ग मी0, मौजा–नवलपुर, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला– वाराणसी में बही नंबर 1, जिल्द नं0 5818, पेज 1 से 38, सीरियल नं0 3142, दिनांक 27.05.2013 को पंजीकृत, **चौहद्दी (विलेख के अनुसार) – पूर्व:** संजय पटेल की जमीन, **पश्चिम:** सरकारी सड़क, **उत्तर:** राजेंद्र सिंह की जमीन, **दक्षिण:** श्रीमती सत्येंद्र सिंह का मकान	रू. 1,02,89,685.73 + ब्याज के साथ दिनांक 01.11.2026 से प्रभारी + फीसाई एवं अन्य शुल्क लगे हुये, घटाकर वसूली, यदि कोई हो **सम्पत्ति–1** 25.04.2019 27.11.2019 सांकेतिक **सम्पत्ति–2** 25.04.2019 29.11.2019 सांकेतिक	**सम्पत्ति–1** 30,00,000 /- 3,00,000/- 50,000/- 14.12.2026 सायं 04:00 **सम्पत्ति–2** 65,00,000 /- 6,50,000/- 50,000/- 14.12.2026 सायं 04:00	15.12.2026 11:00 AM to 04.00 PM	कुछ नहीं

नियम एवं शर्तें :– बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। 1. संपत्तियां ''जहां है जैसे है'' और ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी वहाँ है'' के आधार पर बेची जा रही है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्‌घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊपर लिखे दिनांक व समय के अनुसार की जायेगी तथा बोलीकर्ताओं को सलाह दीजाती है कि नीलामी में भाग लेने के लिए वेबसाईट https://baanknet.com पर रजिस्टर करें। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया देखें https://baanknet.com और www.pnbindia.in/ या श्री रूद नन्द, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाइल नंबर–9204057664) एवं वरिष्ठ प्रबंधक श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव (7355172362) से सम्पर्क करें।

नोट : विवाद की स्थिती में अंग्रेजी अंक प्रकाशन ही मान्य होगा।

दिनाक:23.11.2026, स्थान: वाराणसी सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं / या 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

भेलूपुर वाराणसी-221010

संख्याः-392/II/(जोन-2)/जल0वि0न0नि0वा0 दिनांकः- 23.11.2026

जलकल विभाग भेलूपुर जोन-2 के नगवां वार्ड संख्या-22 के अन्तर्गत शिव प्रसाद गुप्त नगर कालोनी, लेन नं0-02 के हनुमान मन्दिर परिसर में 01 नग नलकूप (50एच.पी. क्षमता) के अधिष्ठापन का कार्य कराये जाने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जानी है। कार्य का विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र, शर्तें अधिकृत वेबसाइट ई-टेण्डर पोर्टल www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा को निर्धारित तिथि से पोर्टल पर ऑनलाइन डाउनलोड/अपलोड कर सकते है।

निविदा प्रकाशन वेबसाइट पर तिथि/समय	-	दिनांक- 25.11.2026 अपरान्ह 02:00 बजे।
निविदा डाउनलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	-	दिनांक- 25.11.2026 अपरान्ह 02:30 बजे।
निविदा अपलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	-	दिनांक- 25.11.2026 अपरान्ह 03:00 बजे।
निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि/समय	-	दिनांक- 05.12.2026 सायं 03.30 बजे।
बिड खोलने की तिथि/समय	-	दिनांक- 05.12.2026 सायं 04.00 बजे।

अधिशासी अभियन्ता (जोन-2)
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

कार्यालय नगर पालिका परिषद, गाजीपुर

पत्रांक- 724/23-सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति/न.पा.परि.गा. 2026 दिनांक- 23.11.2026

सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति

समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित ई-नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से गृहकर/जलकर (House Tax/Water Tax) जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

अतः नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के समस्त भवन/मकान स्वामियों से अपील की जाती है कि वे ई-नगर सेवा पोर्टल (https:// play-google-com/ store/ apps/ details/ id/com-vdsai enagaesewa) पर अपना सिटिजन रजिस्ट्रेशन (Citizen Registration) अनिवार्य रूप से कराएं, जिससे वे घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपने भवन का गृहकर/जलकर (House Tax/Water Tax) जमा कर सकेंगे।

विशेष अपील-

- समस्त नगरवासी समय से अपना पंजीकरण कराकर डिजिटल माध्यम से गृहकर/जलकर (House Tax/Water Tax) जमा करने की सुविधा का लाभ उठाएं तथा नगर के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर